रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256817
CG-DL-E-31082024-256817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/ भाद्र 8, 1946
No. 489] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/ BHADRA 8, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

सा. का. नि. 529(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समूह "क" और समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2012, को जहां तक इसका संबंध विस्फोटक विशेषज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विस्फोटक विशेषज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विस्फोटक विशेषज्ञ भर्ती नियम, 2024, है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अहर्ताएं, आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयनया अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
विस्फोटक विशेषज्ञ	*04 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 - 1,77,500 रुपये) ।	लागू नहीं होता ।	पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं,	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने

	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं ।		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक– (i) शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या बी.एससी. स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ न्याय संबंधी विज्ञान मेंएम.एससी. । (ii) अनुभव:केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विस्फोटक और आग्नेयास्त्रों के परीक्षण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री। टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखवद्ध किये जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें:-	आवश्यक है ।

विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओ या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी/ स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी:— (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53,100-1,67,800 रुपये) या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में स्नातक। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन या विश्वविद्यालयों द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विस्फोटक और आग्नेयास्त्रों के परीक्षण में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष; 2. उपमहानिरीक्षक (प्रशासन), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय- सदस्य; 4. निदेशक, केंद्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला - सदस्य; 5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-I), केंद्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला- सदस्य।	

[फा. सं.: 45021/20/2022-एनआईए]

अभिजीत सिन्हा ,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024.

G.S.R. 529(E).–In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012 in so far as they relate to the post of Explosive Expert except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Explosive Expert the National Investigation Agency, under the Ministry of Home Affairs, namely:

1.Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Explosive Expert Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3.Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the Schedule.

4.Disqualification. –No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible to be appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Explosive Expert.	*04 (2024) * Subject to variation dependent of workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs 56,100 – 1,77,500)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servant up to age of five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)

					Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential- (i) Educational Qualification: Master's degree in Chemistry or M. Sc. in Forensic Science with Chemistry as one of the subject at B. Sc. level from a recognised University. (ii) Experience: Five years' experience in examination of Explosives and Fire-Arms from an institute recognised by the Central Government or State Government or Union territory or public sector undertaking or autonomous body or statutory organisation or University. Desirable: Doctorate degree in Chemistry. Note-I: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commissionfor reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note-II: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commissionfor reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe if, at any stage of selection, the Union Public Service Commissionis of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualifications are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as specified by the Central Government.	Deputation (Including Short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short term contract): Officers under the Central Government or State	Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: -	Necessary.

Government or Universities or recognised research institutions or Union territory or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-9 (Rs 53,100 – 1,67,800) in pay matrix or level-8(Rs 47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experiences: - (i) Bachelor of Science with Chemistry as a subject from a recognised university / institute. (ii) five years' experience in examination of Explosives and Fire Arms from an institute recognised by the Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertaking or autonomous or statutory organization or Universities. Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years' as on closing date of receipt of application.	1. Inspector General, National Investigation Agency- Chairman; 2. DeputyInspector General (Administration), National Investigation Agency– Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs- Member; 4. Director,Central Forensic Science Laboratory – Member; 5. Senior Scientific Officer (Grade-I), Central Forensic Science Laboratory-Member.	

[F. No. 45021/20/2022-NIA]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA